IJFANS INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD AND NUTRITIONAL SCIENCES
ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876
Research Paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 7, 2022

"अकादमिक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों में लैंगिक समानता एवं कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रमों की संचेतना का अध्ययन"

डॉ. राजेन्द्र कुमार'
अधिष्ठाता, षिक्षा विभाग
टांटिया विष्वविद्यालय
श्री गंगानगर

संहिता वाष्कल
पी.एच.डी. शोद्यार्थी, षिक्षा विभाग
टांटिया विष्वविद्यालय
श्री गंगानगर

–:सारांष :–

प्रस्तुत शोध मे अकादमिक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों में लैंगिक समानता एवं कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रमों की संचेतना का अध्ययन किया गया हैं। अध्ययन में प्राप्त आंकडों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किये गए है। यह अध्ययन राजस्थान के जयपुर जिले के विभिन्न अकादमिक महाविद्यालयों में अध्ययनरत् कुल 600 विद्यार्थियों पर किया गया है। इस हेतु लैंगिक समानता एवं कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रमों की संचेतना हेतु स्वनिर्मित का उपकरणों का उपयोग किया गया है। निष्कर्ष रूप में पाया गया कि अकादमिक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों में लैंगिक समानता एवं कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रमों की संचेतना समान है।

मुख्य शब्द– विद्यार्थी, लैंगिक समानता, कन्या भ्रूण हत्या तथा जागरूकता कार्यक्रमों की संचेतना

प्रस्तावना :–

हमारे देश में नारी की स्थिति को लेकर परस्पर विरोधाभास रहा है। स्त्रियों की स्थिति से तात्पर्य यह है कि एक समाज विशेष में स्त्रियों का क्या स्थान है? किसी भी समाज की प्राथमिक इकाई परिवार ही है और उस परिवार की केन्द्रीय धुरी स्त्री होती है। स्त्री के अच्छे बुरे स्थिति का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव परिवार की स्थिति पर भी पड़ता है। भारतीय समाज की बिडम्बना रही है कि स्त्रियाँ प्रारम्भ से ही भेदभाव का शिकार रहीं हैं। इस यथार्थ से कोई विमुख नहीं हो सकता कि भारतीय समाज में बाल्यावस्था से ही लड़कियों में भेद–भाव किया जाता है। स्त्रियों के साथ भेद–भाव कब से प्रारम्भ हुआ इसके लिए इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। ईसा के पश्चात् 11वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध से लेकर अब तक स्त्रियाँ निरन्तर उपेक्षा का शिकार रहीं हैं। इस काल में स्त्री पुरुषों के बीच असमानता थी। कन्या हत्या, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह इत्यादि उदाहरणों से स्पष्ट है कि स्त्रियाँ उपेक्षा का शिकार रही हैं। यहाँ तक की स्त्रियाँ शिक्षा के अधिकार से भी वंचित थीं।

स्त्रियों की स्थिति का प्रमुख कारण लिंग असमानता है। मानव समाज में लिंग के आधार पर सामाजिक असमानता को एक श्रेणी में प्रस्तुत करना सार्वभौमिक विशेषता है जो प्रत्येक मानव समाज में पाया जाता है। लिंग असमानता एक ऐसी स्थिति का द्योतक है जहाँ पर वह चाहते हुए

Research Paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved

भी पुरुष के साथ अपनी अभिव्यक्ति नहीं व्यक्त कर पाती है। यौन असमानता के आधार पर बालिकाओं को कुछ विशिष्ट कार्यों से वंचित कर दिया जाता है। इस असमानता में मानवीय चेतना को गहराई से प्रभावित किया है। माता–पिता, परिवार, एवं समाज सभी जन्म से ही लड़के–लड़की के व्यवहार को एक निश्चित दिशा में अग्रसर कराते जाते हैं। कोई भी लड़का–लड़की जन्म से किसी विशिष्ट कार्य प्रणाली को सीख कर पैदा नहीं होता। बच्चे को क्या और कैसे करना है? यह सब कुछ परिवार और समाज सिखाता है । छोटे लड़कें में साहस, तर्क, स्वच्छन्दता आदि गुणो को प्रश्रय दिया जाता है। छोटी–सी लड़की में भीरुता, आज्ञापालन और परावलम्बन को सराहा जाता है। छोटी सी बच्ची यदि तर्क करे, अधिक उछलकूद करें, माँ के साथ कार्य में सहयोग न करे, तो उसे डांटा जाता है, मना किया जाता है। लड़का यदि दब्बूपन दिखाए तो उसे फटकारा जाता है कि, तू लड़की है क्या? इस तरह से परिवार और समाज द्वारा निर्धारित एक निश्चित व्यवहार लिंग विभेद के रुप में शिशु अवस्था से ही बच्चों के मन में घर कर जाता है जिसमें लड़का श्रेष्ठ होता है और लड़की सदैव उससे कमतर होती है। घर के कार्य में लड़की सहयोग देगी, बाहर के काम लड़का करेगा। छोटी सी भी लड़की खेलने के लिए बाहर जाएगी तो भाई संरक्षक के रुप में साथ जाएगा। ये सारे आचरण अनजाने में ही किए जाने पर भी बच्चों में लैंगिक विषमता की भावना को पुष्ट करते रहते हैं।

भारत में लड़के का जन्म इच्छित, प्रतिक्षित और प्रशास्ति होता है इसके लिये असंख्य तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं। लड़का अपना रहता है, कमा कर घर भरेगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा, पिण्डदान करेगा इत्यादि। दूसरी ओर लड़की का जन्म होते ही घर में मानो मातम छा जाता है। लड़के–लड़की के जन्म में एक सा कष्ट पाने पर भी लड़की का जन्म होने पर बहू का सम्मान अनायास घट जाता है, कारण लड़की तो पराया धन है। लगातार देखभाल करो, समाज की कुदृष्टि से बचाव, पढ़ा लिखाकर तैयार करो और फिर शादी करके दूसरे घर भेज दो, उपर से दहेज भी दो, पेट भी खाली घर भी खाली फिर ससुराल में सुख ना मिले तो मन ही मन दुःख पाते रहो। इन सब के अलावा महिला में बचपन से भेद–भाव की आदत सी पड़ जाती है, और जब वह माँ, सास आदि बनती है तो वह स्वयं भी उन्ही रूढ़ीवादी सांस्कृतिक परम्पराओ का पोषक बन जाती है इसलिये यह कहना भी बहुत गलत नहीं होगा कि नारी को समाज में उसकी सही स्थिति तक उपर न उठने देने के लिये स्त्री भी दोषी है। जन्म होते ही पुत्र–पुत्री में भेद, दादी या बुआ या अन्य स्त्रियाँ ही करती है इसलिये महात्मा गाँधी ने भी कहा था ''जब तक हम स्त्रियों के उस अज्ञान को दूर नहीं करते, जिसके कारण वे पुत्र संतान को पुत्री संतति से श्रेष्ठ मानती है, तब तक नारी की स्थिति अधिक नहीं सुधर सकती।''

स्त्री और पुरूष के मध्य सहस्त्रों वर्षो से निरन्तर दृढ और पुष्ट होती हुई लिंग भेद भाव के अनेक दुष्परिणाम वर्तमान युग में बुि(वादियों और समाजशास्त्रियों को अध्ययन हेतु प्रेरित करने लगे है। समाज में इस परम्परा के कारण से विभिन्न कुरीतियाँ फैल रही है। लिंग विभेद इस प्रकार की कुरीतियों का एक प्रमुख कारक है। राजस्थान की अनेक जातियों में तो कन्या को जन्म लेने के पश्चात् ही गला दबाकर या अन्य किसी तरकीब से मार दिया जाने लगा है। जब से विज्ञान की तकनीक से सोनोग्राफी व अन्य परीक्षणों से लिंग परीक्षण द्वारा लिंग का पता चलने लगा है, तब से उसे 4 माह के भ्रूण को गर्भ में ही समाप्त किया जाने लगा। इसमें अनेक निजी चिकित्सालयों ने इसे व्यवसाय के रूप में अपना लिया। माँ–बाप अनेकानेक कारणों से बच्चों के प्रति मोह रखते हुए भी कन्याओं को बोझ मानने लगे। फलस्वरूप साँस्कारिक, शिक्षित भारतीय समाज में भी कन्या भ्रूण हत्या जैसी अमानवीय घटनाएँ प्रतिदिन देखने को मिलती है।

Research Paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 7, 2022

देश में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने प्रसव पूर्व निदान जांच अधिनियम पारित किया। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सरकारी स्तर और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा व्यापक प्रयास किये गये है। जनगणना के आँकड़ों के आधार पर लिंगानुपात में भारी अन्तर को यद्यपि सभी जातियों में अब देखा व समझा जाने लगा है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सरकार ने विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, संवैधानिक व कानूनी अधिनियमों को लागू किया है। नारी वर्ग के उत्थान के लिए विभिन्न सुरक्षात्मक उपयोगी एवं कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित कर नारी वर्ग में शैक्षणिक, सामाजिक एवं राजनीतिक, आर्थिक वातावरण को सुदृढ़ किया गया है। यहाँ पर भारतीय संविधान में महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान किये गये हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में लिंग, जाति, धर्म व जन्म स्थान आदि किसी भी आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जायेगा। अनुच्छेद 15 (3) में नारियों को विशेष सुविधा व सुरक्षा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 16 के आधार पर लोक नियोजन या सेवाओं में स्त्री–पुरूषों को बिना भेद किये समानता प्रदान की गई है। इस प्रकार भ्रूण हत्या रोकने के लिए सरकार ने कानूनी प्रावधान किये है। वही स्वंयसेवी संस्थाओं द्वारा भी व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

इस प्रकार शोधकर्त्री के मन में प्रश्न उठे कि शिक्षक–शिक्षार्थियों में लैंगिक समानता एवं कन्या भ्रूण हत्या के प्रति संवेदनशीलता जागृति कार्यक्रमों की संचेतना का अध्ययन को प्रभावित करने वाले कारक कौन–कौन से है? शिक्षक–शिक्षार्थियों में लैंगिक समानता एवं कन्या भ्रूण हत्या के प्रति संवेदनशीलता जागृति कार्यक्रमों की संचेतना का अध्ययन को प्रभावित करने वाले कारक कौन–कौन से है? क्या ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के शिक्षक–शिक्षार्थियों में लैंगिक समानता एवं कन्या भ्रूण हत्या के प्रति संवेदनशीलता जागृति कार्यक्रमों की संचेतना का अध्ययन को पारिवारिक सोच प्रभावित करती है? इस प्रकार के अनेक प्रश्नों के समाधान हेतु शोधकर्त्री ने'' अकादमिक महाविद्यालयों के शिक्षक–शिक्षार्थियों में लैंगिक समानता एवं कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रमों की संचेतना का अध्ययन'' विषय पर शोध करने का निर्णय लिया।

प्रस्तुत शोध का महत्व :–

भारतीय धरातल पर महिलाओं की स्थिति समाज में कैसे सुधर सकती है? ऐसा विचार कर इस समस्या का चयन किया गया है। महिलाओं के सम्बन्ध में यह प्रयास बहुत ही तुच्छ है तथापि इस क्षेत्र में एक नई चेतना लाने हेतु शोधकर्त्री ने इसे भविष्य के लिए महत्त्वपूर्ण समझा है। महिला परिवार एवं समाज की आधारभूत इकाई है। महिला शिक्षा द्वारा सामाजिक कुरीतियों, लिंगभेद, शोषण, कन्या भ्रूण हत्या और अंधविश्वासों से युक्त समाज को विमुक्त किया जा सकता है। बेहतर भविष्य सांस्कृतिक मूल्यों में सकारात्मक दिशा से हस्तान्तरण एवं कुपरम्पराओं से मुक्त होने में उसकी शिक्षा सार्थक भूमिका अदा करेगी। भारतीय सामाजिक परिवेश वर्तमान में दूषित मनोवृत्ति का शिकार है। वह महिलाओं को अधिकार हीन बनाना चाहता है तथा पुरुष प्रधान व्यवस्था में उसे सदैव प्रताड़ित भी करता है। अतः नारी को अपनी सामर्थ्य का परिचय देने हेतु शिक्षित होना अत्यन्त आवश्यक है। एक शिक्षित नारी अपने परिवार की सभ्य व शिक्षित रूप से परवरिश कर सकती है। अतः शोधकर्त्री ने इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे संवेदनशीलता जागृति कार्यक्रमों का के प्रति संचेतना उत्पन करने हेतु शोधकर्त्री ने अकादमिक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों में लैंगिक समानता एवं कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रमों की संचेतना का अध्ययन करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार का अध्ययन कार्य आज तक बहुत ही कम हो पाया है, बल्कि

Research Paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved

शिक्षक–शिक्षार्थियों में लैंगिक समानता एवं कन्या भ्रूण हत्या के प्रति संवेदनशीलता जागृति कार्यक्रमों की संचेतना को लेकर शोध अध्ययन नहीं हुआ है। अतः प्रस्तुत अध्ययन शिक्षक–शिक्षार्थियों, संचालकों, समाज एवं राष्ट्र को एक नई दिशा दिखाने में यह शोधकार्य मार्गदर्शन कर सकेगा।

समस्या कथन –

"अकादमिक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों में लैंगिक समानता एवं कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रमों की संचेतना का अध्ययन"

शोध शीर्षक में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण

लैंगिक समानता :–

समाज में स्त्री–पुरुष को समान अधिकार प्राप्त है। मानव जीवन में लिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी को आधार मानकर मानव के व्यवहारों एवं प्रतिमानों को निश्चित किया जाता है। स्त्री–पुरुष के व्यवहार में, रहन–सहन में, कार्य क्षमता में मनोवृत्तियों में भिन्नता पायी जाती है जो समय–समय पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अनुभव का बोध कराती है। स्त्री एवं पुरूष दोनों के प्रति समभाव अनुभव करना ही लैंगिक समानता कहलाता है। स्त्री एवं पुरूष को अवसरों व अधिकारों की दृष्टि से समान समझना व लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न करना। लैंगिक समानता तब होती है जब पुरूष अथवा महिला होना न तो एक लाभ होता है और न ही हानि।

कन्या भ्रूण हत्या :–

यदि कभी गर्भनिरोधक का प्रयोग नहीं किया और शुक्राणु और अण्डाणु के सम्मिलन से विकास आरम्भ हो जाता है, इसको हटाने और इसकी आगे वृ(को रोकने की कोई भी कोशिश गर्भपात या भ्रूण हत्या कहलाती है। लिंग विभेद की गहरी पैठी सोच ने समाज में इस जघन्य कृत्य का तीव्र प्रचार–प्रसार किया है। माता के गर्भ में पल रहे शिशु का गर्भ परीक्षण करके कन्या भ्रूण को नष्ट कर देना भारत के निर्धन से धनी परिवारों में प्रचलित हो गया है।

जागृति कार्यक्रम :–

वह अवस्था जिसमें किसी जाति, देश समाज आदि के लोगों को अपनी वास्तविक परिस्थितियों तथा उनके कारणों का ज्ञान हो जाता है और वे अपनी उन्नति तथा रक्षा करने के लिए सचेष्ट हो जाते हैं, जागृति कार्यक्रम कहलाते हैं। समाज में हो रही कन्या भ्रूण हत्या एवं जेण्डर संवेदनशीलता के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित कर उससे उबरने के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों को इस शोध कार्य` सम्मिलित किया जायेगा।

Research Paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved

संचेतना :–

समाज में हो रही कन्या भ्रूण हत्या एवं जेण्डर संवेदनशीलता के प्रति लोगों में चेतना का विकास करना। संचेतना मनुष्य की वह विशेषता है जो उसे जीवित रखती है और जो उसे व्यक्तिगत विषय में तथा अपने वातावरण के विषय में ज्ञान कराती है। इसी ज्ञान को विचार शक्ति कहा जाता है। यही विशेषता मनुष्य में ऐसे काम करती है जिसके कारण वह जीवित प्राणी समझा जाता है। मनुष्य अपनी कोई भी शारीरिक क्रिया तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसको यह ज्ञान पहले न हो कि वह उस क्रिया को कर सकेगा।

अध्ययन के उद्देष्य :–

(1) राजकीय व निजी अकादमिक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों में लैंगिक समानता एवं कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रमों की संचेतना का तुलनात्मक अध्ययन करना।

(2) राजकीय व निजी अकादमिक महाविद्यालयों के छात्रों में लैंगिक समानता एवं कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रमों की संचेतना का तुलनात्मक अध्ययन करना।

(3) राजकीय व निजी अकादमिक महाविद्यालयों की छात्राओं में लैंगिक समानता एवं कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रमों की संचेतना का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकपनाएँ :–

(1) राजकीय व निजी अकादमिक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों में लैंगिक समानता एवं कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रमों की संचेतना में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।

(2) राजकीय व निजी अकादमिक महाविद्यालयों के छात्रों में लैंगिक समानता एवं कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रमों की संचेतना में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।

(3) राजकीय व निजी अकादमिक महाविद्यालयों की छात्राओं में लैंगिक समानता एवं कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रमों की संचेतना में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।

न्यादर्ष :–प्रस्तुत शोध में न्यादर्ष के रूप में राजस्थान के जयपुर एवं टोंक जिले के अकादमिक महाविद्यालयों के कुल 600 विद्यार्थियों को यादृच्छिक विधि से चयनित किया गया है,

शोध में प्रयुक्त उपकरण :–

1. संवेदनशीलता जागृति कार्यक्रमों की संचेतना मापनी (स्वनिर्मित)

प्रदत्तों का विष्लेषण व विवेचन –

1. राजकीय व निजी अकादमिक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों में लैंगिक समानता एवं कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रमों की संचेतना में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।

सारणी संख्या – 1

Research Paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved

चर	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी मान	सार्थकता का स्तर
राजकीय अकादमिक महाविद्यालय	300	384.22	34.213	1.217	स्वीकृत
निजी अकादमिक महाविद्यालय	300	389.40	36.388		

व्याख्या :– परिकल्पना संख्या 1 के अनुसार राजकीय व निजी अकादमिक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों में लैंगिक समानता एवं कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रमों की संचेतना सम्बन्धी दत्तों का विश्लेषण किया गया जिसमे गणना के आधार पर ज का मान 1.217 प्राप्त हुआ जो कि सार्थकता के स्तर .01 पर सार्थक है अतः शोधकर्त्री द्वारा निर्मित परिकल्पना राजकीय व निजी अकादमिक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों में लैंगिक समानता एवं कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रमों की संचेतना में कोई सार्थक अन्तर नहीं है, स्वीकृत की जाती है । अतः निष्कर्ष रुप में कहा जा सकता है कि राजकीय व निजी अकादमिक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों में लैंगिक समानता एवं कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रमों की संचेतना में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।

2. राजकीय व निजी अकादमिक महाविद्यालयों के छात्रों में लैंगिक समानता एवं कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रमों की संचेतना में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।

सारणी संख्या – 2

चर	संख्या	मध्यमान	प्रमापविचलन	टी मान	सार्थकता का स्तर
राजकीय अकादमिक महाविद्यालय	150	383.29	33.915	1.942	स्वीकृत
निजी अकादमिक महाविद्यालय	150	387.47	31.281		

परिकल्पना संख्या 2 के अनुसार राजकीय व निजी अकादमिक महाविद्यालयों के छात्रों में लैंगिक समानता एवं कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रमों की संचेतना सम्बन्धी दत्तों का विश्लेषण किया गया जिसमे गणना के आधार पर ज का मान 1.942 प्राप्त हुआ जो कि सार्थकता के स्तर .01 पर सार्थक है अतः शोधकर्त्री द्वारा निर्मित परिकल्पना राजकीय व निजी अकादमिक महाविद्यालयों के छात्रों में लैंगिक समानता एवं कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रमों की संचेतना में कोई सार्थक अन्तर नहीं है, स्वीकृत की जाती है । अतः निष्कर्ष रुप में कहा जा

Research Paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved

सकता है कि राजकीय व निजी अकादमिक महाविद्यालयों के छात्रों में लैंगिक समानता एवं कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रमों की संचेतना में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।

3. **राजकीय व निजी अकादमिक महाविद्यालयों की छात्राओं में लैंगिक समानता एवं कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रमों की संचेतना में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।**

सारणी संख्या – 3

चर	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी मान	सार्थकता का स्तर
राजकीय अकादमिक महाविद्यालय	150	385.35	34.206	1.787	स्वीकृत
निजी अकादमिक महाविद्यालय	150	388.22	33.259		

परिकल्पना संख्या 3 के अनुसार राजकीय व निजी अकादमिक महाविद्यालयों के छात्राओं में लैंगिक समानता एवं कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रमों की संचेतना सम्बन्धी दत्तों का विश्लेषण किया गया जिसमे गणना के आधार पर ज का मान 1.787 प्राप्त हुआ जो कि सार्थकता के स्तर .01 पर सार्थक है अतः शोधकर्त्री द्वारा निर्मित परिकल्पना राजकीय व निजी अकादमिक महाविद्यालयों के छात्राओं में लैंगिक समानता एवं कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रमों की संचेतना में कोई सार्थक अन्तर नहीं है, स्वीकृत की जाती है । अतः निष्कर्ष रुप में कहा जा सकता है कि राजकीय व निजी अकादमिक महाविद्यालयों के छात्राओं में लैंगिक समानता एवं कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रमों की संचेतना में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।

शैक्षिक सुझाव –

1. भारतीय संविधान में लैंगिक न्याय के सन्दर्भ में जो सुरक्षात्मक प्रावधान किए गए है उन प्रावधानों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया उचित नहीं रही है। सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए समय–समय पर अनेक योजनाओं का तो निर्माण किया गया है परन्तु लैंगिक न्याय के वास्तविक लक्ष्य को पाने हेतु इतना ही पर्याप्त नहीं है। बल्कि इसके लिए यह आवश्यक है कि विधायिका तथा न्यायपालिका दोनों ही इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रतिबद्धता दिखाए।
2. भारत सरकार द्वारा महिलाओं के विकास हेतु चलाए जाने वाले कार्यक्रम मात्र महिलाओं की परम्परागत भूमिका के आधार पर ही नहीं होने चाहिए, बल्कि ये कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए जो स्त्रियों की सार्वजनिक क्षेत्र में वास्तविक भूमिका सुनिश्चित करते हों।

भावी शोध हेतु सुझााव –

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876
Research Paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 7, 2022

1. न्यादर्श के लिए बड़े न्यादर्श का चयन किया जा सकता है इसके लिए महाविद्यालयों तथा महिलाओ की संख्या को बढ़ाया जा सकता है।
2. लैंगिक समानता एवं कन्या भ्रूण हत्या के प्रति संवेदनशीलता जागृति कार्यक्रमों की संचेतना के लिए चलाए जाने वाली सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं का तुलनात्मक शोध अध्ययन किया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची

1. कुशवाह अर्चना 'लिंगानुपात–एक सामाजिक चिंतन' सामाजिक सहयोग राष्ट्रीय त्रैमासिक शोध पत्रिका वर्ष 24 अंक 28
2. कुशवाह कु. सरिता सिंह शोध प्रबंध (2008) 'कन्या भ्रूण हत्या' एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (ग्वालियर नगर की हिंदू स्त्रियों के विशेष संदर्भ में) जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर
3. डॉ. शर्मा, वी. एस. ''शिक्षा मनोविज्ञान'' साहित्य प्रकाशन आगरा (2004)
4. डॉ. अरोड़ा रीता, सुदेष मारवाह (2005) '' षिक्षा मनो विज्ञान एवं सांख्यिकी'' षिक्षा प्रकाषन जयपुर पृष्ठ संख्या (407–430)
5. दीवान शिवानी, जैन सि(ार्थ व पाढ़ी कु. सम्बित शोध टिप्पणी (2013) कन्या भ्रूण हत्या की वर्तमान स्थिति एवं युवा पीढ़ी की उसके प्रति जागरुकता पर शिक्षा का प्रभाव' परिप्रेक्ष्य शैक्षिक योजना और प्रशासन का सामाजिक आर्थिक संदर्भ के वर्ष 20 अंक 2 में प्रकाशित लेख '
6. नाराणी, प्रकाश नारायण (2011), ''कन्या भ्रूण हत्या और महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा,'' जयपुर बुक एनक्लेव।
7. सुखिया, एस.पी. (1990) शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व. आगराः विनोद पुस्तक मन्दिर।